



## वरिसत के रूप में वन

यह एडिटरियल 13/10/2022 को 'द हट्टि' में प्रकाशित "We need a forest-led COP27" लेख पर आधारित है। इसमें भारत में वन संरक्षण की स्थिति और प्रौद्योगिकी अनुकूलिकरण के साथ वन अनुकूलिकरण के बारे में चर्चा की गई है।

## संदर्भ

भारत न केवल अपने उत्कृष्ट स्थापत्य निर्माणों और संस्कृति के लिये प्रसिद्ध है, बल्कि अपने सघन एवं विशाल वन वरिसत के लिये भी प्रसिद्ध है। [भारत वन स्थिति रिपोर्ट- 2021](#) (State of India Forest Report 2021) के अनुसार देश का कुल वन क्षेत्र इसके भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है।

- लेकिन वन-आधारित उत्पादों की बढ़ती मांग और परिणामी जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई और अतिक्रमण ने इस मूल्यवान संपत्तिको गंभीर क्षति पहुँचाई है। नीति आयोग के अनुसार प्रत्येक वर्ष लगभग 13 मिलियन हेक्टेयर वन नष्ट हो रहे हैं।
- इस परिदृश्य में समय की मांग है कि यह समझा जाए कि वन संवहनीयता (forest sustainability) एक विकल्प नहीं है, बल्कि अनिवार्यता है।

## वनों का क्या महत्त्व है?

- पृथ्वी पर एक तहनाई भूमि वनों से आच्छादित है, जो जल चक्र को बनाए रखने, जलवायु को वनियमित करने और जैव विविधता के संरक्षण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- निर्धनता उन्मूलन के लिये भी वन महत्त्वपूर्ण हैं। वन 86 मिलियन से अधिक हरित रोजगार प्रदान करते हैं। ग्रह के प्रत्येक जीव का वनों से किसी न किसी रूप में संपर्क बना रहा है।
- वे भारत की आप्लावति मानव जाति—आदिवासियों के घर भी हैं। आदिवासी जन पारस्थितिक और आर्थिक रूप से वन पर्यावरण का अभिन्न अंग रहे हैं।
- वन रेशमकीट पालन, खलौना निर्माण, पत्ती प्लेट निर्माण, प्लाईवुड, कागज और लुगदी जैसे कई उद्योगों के लिये कच्चा माल प्रदान करते हैं।
- वे प्रमुख और लघु वनोपज भी प्रदान करते हैं:
  - प्रमुख वनोपज में इमारती लकड़ी, गोल लकड़ी, लुगदी-लकड़ी, काष्ठ कोयला और जलावन लकड़ी शामिल हैं
  - लघु वनोपज में बाँस, मसाले, खाद्य फल एवं सब्जियाँ शामिल हैं।

## वनों के संबंध में संवैधानिक प्रावधान

- वनों को भारत के [संवैधानिक सातवीं अनुसूची](#) की समवर्ती सूची में शामिल किया गया है।
  - 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 के माध्यम से वनों और वन्यजीवों एवं पक्षियों के संरक्षण के विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया।
- संवैधानिक अनुच्छेद 51A (g) में कहा गया है कि वनों एवं वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्द्धन प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य होगा।
- [राज्य नीति के नदिशक सिद्धांतों](#) के तहत अनुच्छेद 48A में कहा गया है कि राज्य पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्द्धन और देश के वनों एवं वन्यजीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा।

## वन संरक्षण के लिये सरकार की प्रमुख पहलें

- [वन संरक्षण अधिनियम, 1980](#)
- [राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम](#)
- [पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986](#)
- [अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी \(वन अधिकारों की मान्यता\) अधिनियम, 2006](#)



**Q1. राष्ट्रीय स्तर पर, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंत्रालय नोडल एजेंसी है? (वर्ष 2021)**

- (A) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- (B) पंचायती राज मंत्रालय
- (C) ग्रामीण विकास मंत्रालय
- (D) जनजातीय मामलों के मंत्रालय

**उत्तर-(D)**

**प्रश्न 2. भारत में एक विशेष राज्य में नमिनलखिति विशेषताएँ हैं: (वर्ष 2012)**

1. यह उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर गुजरती है।
2. इसका 80% से अधिक क्षेत्र वन आच्छादित है।
3. इस राज्य में 12% से अधिक वन क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क का गठन करता है।

**नमिनलखिति में से कसि राज्य में उपरोक्त सभी विशेषताएँ हैं?**

- (A) अरुणाचल प्रदेश
- (B) असम
- (C) हिमाचल प्रदेश
- (D) उत्तराखंड

**उत्तर: (A)**

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/forest-as-heritage>

